क्रम-संख्या–144(ञ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023

श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 1302 / वि0स0 / संसदीय / 85(सं)-2023

लखनऊ, 7 अगस्त, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 7 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन), अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा-2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–2 में विद्यमान खण्ड–(झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(झ) विश्वविद्यालय का तात्पर्य यथास्थिति गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा या महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर से है।''

धारा-2क का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा–2–क में,–

(क) उपधारा (1–ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः–

''(1–ग) उपधारा (1), (1–क) और (1–ख) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें, कुशीनगर में एक विश्वविद्यालय जो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्विविद्यालय, कुशीनगर के रूप में जाना जायेगा, की स्थापना की जायेगी।''

(ख) उपधारा–(2) में शब्द और अंक ''उपधारा (1) या उपधारा (1–क) या उपधारा (1–ख)'' के स्थान पर शब्द और अंक ''उपधारा (1), (1–क) या (1–ख)'' रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का संशोधन

4–मूल अधिनियम की अनुसूची में,–

(क) क्रम संख्या–2 के स्तम्भ–3 की प्रविष्टि से शब्द ''गोरखपुर'', ''बस्ती'' और ''आजमगढ़'' मण्डल निकाल दिये जायेंगे।

(ख) क्रम संख्या–5 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और इससे संबंधित प्रविष्टियॉ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थातः–

6	महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर	गोरखपुर, बस्ती व आजमगढ़

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण लोगों के लाभ हेतु और कृषि के विकास में कृषि विश्वविद्यालयों को स्थापित करने तथा निगमित करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन 1958) अधिनियमित किया गया है।

कृषि के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लाभों को उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र के कृषकों हेतु अपेक्षाकृत अधिक सुगम बनाने तथा पूर्वांचल क्षेत्र के छात्रों को कृषि शिक्षा का लाभ उनके निवास स्थान के निकट उपलब्ध कराने हेतु जिला कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया जाता है।

सूर्य प्रताप शाही
मंत्री,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 के संबंध में वित्तीय ज्ञापन–पत्र

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना की व्यवस्था की जा रही है। उक्त व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य की समेकित निधि से रू0 750.00 करोड़ का अनावर्तक व्यय तथा रू0 20.00 करोड़ का आवर्तक व्यय अनुमानित है।

सूर्य प्रताप शाही
मंत्री,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन–पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अंतर्ग्रस्त है।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है :–

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
3	इसके द्वारा राज्य सरकार को गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर को स्थापित करने की शक्ति दी जा रही है।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

सूर्य प्रताप शाही
मंत्री,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय विधेयक, 1958

धारा 2

[2][(ठ) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य यथास्थिति गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अथवा [3][आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय] अथवा [4][चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अथवा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय] है।

धारा 2(क)

x x x x x

[4][(2) [5][(उपधारा (1) या उपधारा (1–क) या उपधारा (1–ख)] के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में,–

(क) राज्य सरकार [6][कुलाधिपति] (Chancellor) से भिन्न] विश्वविद्यालयों के अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और ऐसे विश्वविद्यालयों के लिये ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन करेगी;

(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्ति अधिकारी तथा गठित प्राधिकारियों के सदस्य यथास्थिति ऐसी नियुक्ति या गठन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग–अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।]

अनुसूची

क्र0सं0	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय प्रसार, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–कार्य के प्रयोजनार्थ अधिकारिता का प्रयोग करेगा
1	2	3
1	x x	x x
2	[6][आचार्य] नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	[7][अयोध्या], गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर डिवीजन

सूर्य प्रताप शाही
मंत्री,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1039/XC-1014(003)-10–2023
Dated Lucknow, August 17, 2023

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Krishi evam Praudyogik Vishvavidyalaya (Sanshodhan), Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 2023.

THE UTTAR PRADESH KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 45 of 1958

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (hereinafter referred to as the "principal Act") *for* the existing clause (l), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(l) University means the Gobind Ballabh Pant Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or the Acharya Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or the Chandrashekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or the Sardar Vallabh Bhai Patel Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or the Banda Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Banda or the Mahatma Buddha Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Kushinagar, as the case may be."

Amendment of section 2-A

3. In section 2-A of the principal Act,-

(a) *after* sub-section (1-B), the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(1-C) Besides the Universities referred to in sub-sections (1), (1-A) and (1-B) there shall be established, with effect from such date as the State Government may by notification in *Gazette* appoint in this behalf, a University at Kushinagar to be known as the Mahatma Buddha Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Kushinagar."

(b) in sub-section(2), *for* the words and figures "sub-section (1) or sub-section (1-A) or sub-section (1-B)", the words and figures "sub-sections (1), (1-A), (1-B) or (1-C)" shall be *substituted.*

Amendment of Schedule

4. In the Schedule to the principal Act,-

(a) from the entries in column-3 of serial number-2, the words "Gorakhpur", "Basti" and "Azamgarh" shall be *omitted;*

(b) *after* serial number-5, the following serial number and entries relating thereto shall column-wise be *inserted*, namely :-

6	Mahatma Buddha Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Kushinagar	Gorakhpur, Basti and Azamgarh Divisions

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (U.P.Act no. 45 of 1958) has been enacted to establish and incorporate Agriculture Universities for the development of agriculture in, and for the benefit of rural people of the State of Uttar Pradesh.

In order to make the benefits of new technology and research in the field of agriculture more accessible to the farmers of Purvanchal region of the State Uttar Pradesh, and to provide the benefits of agriculture education to the students of Purvanchal region near their place of residence, it has been decided to amend the aforesaid Act to establish Mahatma Buddha Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya in district Kushinagar.

The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Vidheyak, 2023 is introduced accordingly.

SURYA PRATAP SHAHI
Mantri,
Krishi Shiksha evam Anushandhan Vibhag.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 502 राजपत्र–2023–(1632)–599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

502 RPH (Krishi Evm Produdhiki Viswavidhyalya) (Sansadiya) 2023 Data 7e